भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3246

उत्तर देने की तारीख- 20.03.2025

पीवीटीजी को पीएम-जनमन के अंतर्गत शामिल करना

3246. श्री इमरान मसूदः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार उक्त योजना के अंतर्गत उन पीवीटीजी को किस प्रकार शामिल करने की योजना बना रही है जिनके पास आधार अथवा मनरेगा जॉब कार्ड नहीं हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया है, ताकि पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। प्राप्त किए गए आंकड़ों (28.02.2025 तक) के आधार पर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी की संख्या **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध की गई है। इन अभियानों के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों की पात्रता मानदंडों के अध्यधीन है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों के समन्वय से, आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना था, जो आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुलग्नक-I

श्री इमरान मसूद द्वारा "पीवीटीजी को पीएम-जनमन के अंतर्गत शामिल करना" के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3246 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों / विभागों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान (28.02.2025 तक)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कुल पीवीटीजी जनसंख्या**
1	आंध्र प्रदेश	493932
2	छत्तीसगढ़	229743
3	गुजरात	153516
4	झारखंड	398260
5	कर्नाटक	57067
6	केरल	29511
7	मध्य प्रदेश	1228606
8	महाराष्ट्र	621046
9	ओडिशा	298441
10	राजस्थान	128456
11	तमिलनाडु	364846
12	तेलंगाना	63194
13	त्रिपुरा	273240
14	उत्तर प्रदेश	3527
15	उत्तराखंड	92233
16	पश्चिम बंगाल	67431
17	अंडमान और निकोबार	191
18	मणिपुर	44694
19	बिहार	8839
कुल योग		**4556773**

****